रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 1991/श्रावण 30, 1913
No. 34] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 1991/SRAVANA 30, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

आन्ध्रा बैंक

(कर्मचारी विभाग)

अधिसूचना

हैदराबाद, 29 जुलाई, 1991

सं. 666/3/91/292 —बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं स्थानांतरण) अधिनियम 1980 (1980 का 40) के अनुच्छेद 12 के उप-अनुच्छेद (2) के साथ पठित अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आन्ध्रा बैंक का निदेशक मण्डल भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह व केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से आन्ध्रा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में और संशोधन बनाने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

(2) लघु शीर्ष एवं आरंभ :

(1) ये विनियम आन्ध्रा बैंक (अधिकारी) सेवा संशोधन विनियम, 1991 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(3) आन्ध्रा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में

(क) विनियम 2 को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :

(1) ये विनियम आन्ध्रा बैंक के सभी अधिकारियों पर लागू होते हैं तथा बैंक के ऐसे अन्य कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं, जिन पर सक्षम अधिकारी आवश्यक समझते हों तथा ये विनियम उन शर्तों पर लागू होंगे जो इस प्रकार के अधिकारी निर्धारित करेंगे।

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से या सामान्य रूप से किये गये निर्धारण के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में भारत के बाहर स्थानांतरित/तैनात/प्रतिनियुक्त अधिकारियों को भी ये लागू होंगे।

(3) तो भी ये विनियम भारत के बाहर किसी भी देश में नियुक्त/कार्यरत या स्थायी रूप से सेवारत कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

(ख) विनियम 3 (एल) और 3 (एम) को निम्नप्रकार से पढ़ा जाए

3(एल) "वेतन" अर्थात् गत्यावरोध वेतनवृद्धि सहित मूल वेतन

3(एम) "वेतन" अर्थात् कुल वेतन और महंगाई भत्ता।

(ग) विनियम 4(1) को निम्नानुसार से पढ़ा जाए :

दिनांक 01-02-1984 को तथा उसके बाद से अधिकारियों के लिए प्रत्येक श्रेणी के आगे सूचित-वेतन-मान सहित निम्नलिखित चार श्रेणियां होंगी :

(क) उच्च कार्यपालक श्रेणी :
वेतनमान VII --रु. 4100-125-4600
वेतनमान VI रु 3850-125-4350

(ख) वरिष्ट प्रबन्ध श्रेणी :
वेतनमान V रु. 3575-110-3685-115-3800
वेतनमान IV रु. 2925-105-3450

(ग) मध्य प्रबन्ध श्रेणी :
वेतनमान III रु. 2650-100-3250
वेतनमान II रु. 1825-100-2925

(घ) कनिष्ठ प्रबन्ध श्रेणी :
वेतनमान I रु. 1175-60-1475-70-1895 ई.बी 95-2275-100-2675

01-11-1987 को तथा उसके बाद से प्रत्येक श्रेणी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्न प्रकार होंगे :

(क) उच्च कार्यपालक श्रेणी :
वेतनमान VII रु. 6100-150-7000
वेतनमान VI रु. 5950-150-6550

(ख) वरिष्ट प्रबन्ध श्रेणी :
वेतनमान V रु. 5350-150-5950
वेतनमान IV रु. 4520-130-4910-140-5050-150-5350

(ग) मध्य प्रबंध श्रेणी :
वेतनमान III रु. 4020-120-4260-130-4910
वेतनमान II रु. 3060-120-4260-130-4390

(घ) कनिष्ठ प्रबन्ध श्रेणी :
वेतनमान I रु. 2100-120-4020

बशर्ते कि नियुक्ति की तारीख के समय लागू वेतनमानों द्वारा नियंत्रित प्रत्येक अधिकारी, जिनका विनियम 8 के अन्तर्गत सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शनों के अनुसार उक्त वेतनमानों में निर्धारण करना है उक्त वेतनमानों मे उनका निर्धारण सरकार के मार्गदर्शनों के अनुरूप किया जाएगा ।

(घ) विनियम 5(1) के निम्नप्रकार से पढा जाए : 01-11-1987 को और उसके बाद से वेतन वृद्धियां निम्नलिखित उप-खण्डों के अधीन दी जाएंगी :

(क) विनियम 4(1) में दिये गये वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां सक्षम अधिकारी की स्वीकृति होने पर वार्षिक आधार पर होंगी और वे जिस महीने मे देय होती है, उस महीने की पहली तारीख को दी जायेंगी ।

(ख) वेतनमान I तथा II के अधिकारियों को अपने सम्बन्धित वेतनमानों में अधिकतम चरण तक पहुंचने के पश्चात् दक्षता-रोध पार करने पर नीचे विनिर्दिष्ट "ग" के अनुसार केवल अगले उच्च वेतनमान मे गत्यावरोध वेतनवृद्धि सहित और वेतनवृद्धि दी जाएगी ।

(ग) उपर्युक्त "ख" के अधिकारियों सहित जोकि एम. एम. जी. वेतनमान II तथा III के अधिकतम चरणों में पहुंच गये हैं, वेतनमान II अथवा III के अंतिम चरण मे पहुचने के पश्चात् सेवाकाल के प्रत्येक 3 पूर्ण वर्षों हेतु गत्यावरोध वेतनवृद्धि लेंगे, जैसा भी मामला हो, बशर्ते कि वेतनमान II के अन्तिम चरण में अधिकारियों हेतु अधिकतम रु 130/- प्रत्येक की 2 ऐसी वेतनवृद्धियां हो तथा वेतनमान-III के अंतिम चरण मे अधिकारियों हेतु रु. 140- की ऐसी एक वेतनवृद्धि हो ।

टिप्पणी : अगले उच्च वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धियों की मंजूरी मतलब पदोन्नति नही है । ऐसी वेतनवृद्धियां पाने के पश्चात् भी अधिकारी विशेषाधिकार, अनुलाभ, कर्तव्यों दायित्वों, अथवा अपने मूलभूत वेतनमान-I अथवा II के पदों, जैसा भी मामला हो, हेतु पात्र होंगे ।

(च) विनियम 5(2) को निम्नप्रकार से पढा जाए : नियत तिथि को तथा उस तिथि से सी.एस.आई.आई.बी का प्रत्येक भाग उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी ।

दिनांक 01-11-1987 को तथा उस दिनांक से जो अधिकारी वेतनमान के अधिकतम चरण मे पहुंचते है अथवा पहुंच चुके है तथा सिवाय पदोन्नति के और आगे नही जा सकते हैं, सरकार के मार्गदर्शनों की शर्तों के अधीन यदि हों, सी.ए.आई.आई.बी. परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धि के बदले मे अपवर्तनीय शैक्षिक भत्ता निम्न अनुसार दिया जाएगा .

जिन्होंने सी.ए.आई.आई. बी का केवल प्रथम भाग उत्तीर्ण किया है। : एक वर्ष के पश्चात् रु. 100/- प्रति माह जिसमें से रु. 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए है ।

जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. दोनों भाग उत्तीर्ण किये है : (i) एक वर्ष के पश्चात् रु. 100/- प्रति माह जिसमें से रु. 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए है ।
: (ii) 2 वर्ष के पश्चात् रु 250/ प्रतिमाह जिसमे से रु. 200/- अधिवर्षिता लाभ के लिए है।

टिप्पणी :--यदि शैक्षिक योग्यता भत्ता पाने वाले किसी अधिकारी को अगले उच्च वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है तो उसे ऐसे उच्चतर वेतनमान मे निर्धारण के पश्चात वेतनमान मे उपलब्ध वेतनवृद्धि की सीमा तक सी.एस आई.आई.बी. उत्तीर्ण करने हेतु अतिरिक्त वेतनवृद्धियां/ प्रदान की जायेंगी तथा यदि वेतनमान मे कोई वेतनवृद्धि उपलब्ध नही है अथवा एक ही वेतनवृद्धि उपलब्ध है तो अधिकारी वेतनवृद्धियों के बदले मे शैक्षिक योग्यता भत्ते हेतु पात्र होगा ।

(छ) विनियम 21 को निम्नप्रकार से पढ़ा जाए :

दिनांक 01-11-1987 को तथा उस दिनांक से महंगाई भत्ता योजना निम्न प्रकार से होगी :

(1) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के तिमाही औसत मे 600 अंकों के ऊपर 4 अंक की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से देय होगा।

(2) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा :

(1) रु 2500/- तक "वेतन" का 0.67 प्रतिशत, और

(2) रु 2500 से ऊपर परन्तु रु 4000/- तक "वेतन" का 0 55 प्रतिशत और

(3) रु. 4000/- से ऊपर परन्तु रु. 4260/- तक "वेतन" का 0 33 प्रतिशत और

(4) रु 4260 से ऊपर "वेतन" का 0 17 प्रतिशत

(ज) विनियम 22(1) को निम्नानुसार से पढा जाए

1-11-1987 को और उसके बाद से यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे उसके वेतनमान के प्रथम प्रक्रम का 6 प्रतिशत अथवा आवास के लिए मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा।

(झ) विनियम 22(2) को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए,

01-01-1990 को और उसके बाद में यदि अधिकारी को बैंक द्वारा मकान नहीं दिया गया है, तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा :

कालम 1 कार्यरत स्थान के अनुरूप	कालम 2 देय मकान किराया भत्ता
(1) समय-समय पर सरकार के मार्गदर्शक सूत्रों तथा "क" ग्रुप के प्राजेक्ट क्षेत्र केन्द्रों के आधार पर "क" श्रेणी वाले प्रमुख शहर।	हर महीने के वेतन का 14 प्रतिशत या अधिकतम रु. 450/-
(2) क्षेत्र-1 तथा ग्रुप "ख" के प्रोजेक्ट क्षेत्र केन्द्रों में अन्य स्थान।	हर महीने के वेतन का 12 प्रतिशत या अधिकतम रु. 375/-
(3) क्षेत्र 2 और राज्य की राजधानियों व संघ शासित क्षेत्र की राजधानियां, जो उपर्युक्त (1) एवं (2) में शामिल नहीं हैं।	हर महीने के वेतन का 10 प्रतिशत या अधिकतम रु. 325/-
(4) क्षेत्र 3	हर महीने के वेतन का 8 प्रतिशत या अधिकतम रु. 300/-

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करे तो उसे दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता, अन्यथा देय अधिकतम मकान किराया भत्ते का अधिकतम 175 प्रतिशत सहित उसके वेतनमान के प्रथम चरण में वेतन के 6 प्रतिशत से अधिक उसके आवासीय स्थान हेतु उसे दिया गया वास्तविक किराया होगा।

(1) विनियम 23(3) निम्न लिखित अनुसार होगा : जहां अधिकारी अपने घर में रहता है वह उपविनियम (2) में उल्लिखित नियम के आधार पर सामान्य मकान किराया भत्ता प्राप्त करने की योग्यता रखता है, जैसे कि वह प्रति माह निम्नलिखित "क" या "ख" की अधिकतम राशि के 1/12 हिस्से मासिक किराये के रूप में अदा कर रहा है।

"क"

(1) आवास से संबंधित देय नगरपालिका कर, और

(2) भूमि के मूल्य सहित आवास के पूंजीगत मूल्य का 12 प्रतिशत और यदि आवास किसी भवन का हिस्सा हो तो उस आवास के लिए विशेष फिक्सचर्स जैसे एयर कंडीशनर्स को छोड़कर, उपर्युक्त भूमि के पूंजीगत मूल्य का अनुपातिक हिस्सा।

"ख"

आवास का नगरपालिका द्वारा निर्धारण हेतु लिया गया वार्षिक किराया मूल्य

स्पष्टीकरण :—

(i) इस विनियम हेतु "मानक किराया" का अर्थ है —

(क) बैंक के अपने आवास के मामले में, सरकार में लागू ऐसी गणना हेतु लागू पद्धति के अनुसार परिकलित मानक किराया।

(ख) दि. 1-4-1990 से जहां बैंक ने आवास किराये पर लिया है, बैंक द्वारा देय संविदात्मक किराया या उपर्युक्त (क) पद्धति के अनुसार परिकलित किराया जो भी कम हो।

(2) इस विनियम और विनियम 23 के 1, क्षेत्र 2 और क्षेत्र 3 का अर्थ निम्नलिखित होगा :—

क्षेत्र 1—12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान

क्षेत्र 2—क्षेत्र 1 में शामिलित शहरों के अतिरिक्त अन्य सभी शहर जिनकी जनसंख्या एक लाख और उससे अधिक है।

क्षेत्र 3—सभी शहर जो क्षेत्र 1व क्षेत्र 2 में सम्मिलित नहीं हैं।

(ii) विनियम 23(i) निम्नलिखित अनुसार होगा :—

दि. 01-11-1987 से, यदि वह नीचे दी गई सारणी के कालम 1 में वर्णित स्थान पर कार्यरत हैं, तो उस स्थान पर कालम 2 में वर्णित दर पर सी.सी.ए. दिया जायेगा, बशर्ते कि शहरी पणजी व मारमुगोआ को छोड़ गोआ राज्य के स्थानों पर सी.सी.ए. जहां वह 1-11-1987 को देय न हो, 20-8-1988 से देय होगा।

स्थान	दर
1	2
(क) क्षेत्र 1 तथा गोवा राज्य के स्थान	हर महीने मूल वेतन का 6 1/4 प्रतिशत या अधिकतम रु. 220/-
(ख) ऐसे स्थान जहां पर 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या हो और, राज्य के राजधानी व चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्टब्लेयर जो उपर्युक्त "क" में न हो	हर महीने मूल वेतन का 4 प्रतिशत या अधिकतम रु. 135/-

विनियम 23(5) निम्न अनुसार होगा :—

(क) दि. 01-11-1987 से, यदि कोई अधिकारी बैंक से बाहर कहीं प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वह जिस पद के लिए प्रतिनियुक्त किया गया उस पद से संबद्ध सभी परिलब्धियां प्राप्त कर सकता है। दूसरी ओर वह अपने वेतन के अतिरिक्त 12 प्रतिशत, अधिकतम रु. 750/- प्रतिनियुक्त भत्ता एवं ऐसे अन्य भत्ते जो वह बैंक को सेवा में आहरित करता रहा, प्राप्त करेगा।

व्यवस्था की गई है कि जिस संगठन में वह प्रतिनियुक्त किया गया हो, वह उसी स्थान पर हो जहां कि प्रतिनियुक्ति के पहले उसे पोस्ट किया गया हो तो वह अपने वेतन का 6 प्रतिशत अधिकतम रु. 350/- प्रतिनियुक्त भत्ते स्वरूप प्राप्त करेगा।

यह भी किसी अधिकारी के बतौर सकाय सदस्य बैंक के प्रशिक्षण संस्थान अथवा बी.एम.आर.बी. में प्रतिनियुक्ति पर होने, पर वह वेतन के 6 प्रतिशत अधिकतम रु. 350/ प्रतिनियुक्ति भत्ते हेतु पात्र होगा।

(ख) विनियम 23(6) निम्न अनुसार होगा :—

दि. 01-11-1987 से यदि वह किसी पद पर उच्चतर वेतनमान में 7 दिनों से कम नहीं या कैलेण्डर वर्ष के कुल 7 दिनों के दौरान की लम्बी अवधि के लिए एक बार स्थानापन्न किया जाता है, तो उसे स्थानापन्न भत्ते के रूप में वेतन का 6 प्रतिशत अधिकतम रु. 250/- प्रतिमाह, स्थानापन्न भत्ते के रूप में प्राप्त होगा। स्थानापन्न भत्ता भविष्य निधि के लिए ही देय है अन्य निमित्त नहीं।

व्यवस्था की गई है कि जहां एक अधिकारी उच्चतर वेतन में स्थानापन्न होता है, विनियम 6 के अन्तर्गत पदों के वर्गीकरण के पुनः-निरीक्षण के उसे एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ता नहीं मिलेगा जिस संगठन में यह पदों के वर्गीकरण का पुनःनिरीक्षण प्रभावी है।

(ग) विनियम 23(7) निम्न अनुसार होगा :—

"वित्तीय वर्ष 1989-90 को तथा से, वह ऐसी शाखा में नियुक्त है, जहां बहियां 31 मार्च व 30 सितम्बर को बन्द कर दी जाती हैं, प्रत्येक ऐसे समापन हेतु रु. 150/- समापन भत्ता प्रदान किया जायेगा।

(घ) विनियम 23(10) निम्न अनुसार होगा :—

दि. 01-11-1987 को तथा से, यदि वह निम्न सारणी के कालम 1 में वर्णित किसी स्थान पर कार्यरत है तो उसे कालम 2 में वर्णित दर पर पहाड़ी एवं ईंधन भत्ता दिया जायेगा :

स्थान	दर
1	2
(1) 1000 मीटर तथा अधिक ऊंचाई वाले परन्तु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान तथा सरकारी शहर	वेतन का 5 प्रतिशत बशर्ते कि अधिकतम रु. 130/-
(2) 1500 मीटर तथा अधिक ऊंचाई वाले परन्तु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 6 1/2 प्रतिशत बशर्ते कि अधिकतम रु. 160/-
(3) 3000 मीटर तथा अधिक ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 15 प्रतिशत बशर्ते कि अधिकतम रु 600/-

टिप्पणी : (क) 750 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर नियुक्त अधिकारी, जोकि अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों से घिरे है, तथा जहां तक 1000 मीटर तथा अधिक ऊंचाई पर, कि बिना नहीं पहुंचा जा सकता, उन्हें पहाड़ी तथा ईंधन भत्ता 1000 मीटर तथा अधिक ऊंचाई वाले केन्द्रों पर देय दर के अनुसार दिया जायेगा।

(ख) किसी भी केन्द्र पर उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार वर्तमान में दिये जाने वाले पहाड़ी तथा ईंधन भत्ते को बन्द किया जा रहा है। दि 1-11-1987 से 30-4-89 के बीच पहले ही दिये गये भत्ते सम्मिलित नहीं होंगे। दि 01-05-1989 से पुराने प्रावधानों के अन्तर्गत 30 अप्रैल तक दिये गये भत्ते की प्रमात्रा को ही उसी वेतनमान में उसी केन्द्र पर नियुक्ति तक उस तिथि से पूर्व अथवा को उस केन्द्र पर नियुक्त अधिकारियों के मामले में सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

(ग) विनियमन 24(1) को निम्न रूप में पढ़ा जाये :—

निम्नांकित के आधार पर एक अधिकारी स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों की चिकित्सा के लिये उनके द्वारा वास्तव में किये हुए (चिकित्सा) व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की योग्यता रखता है अर्थात् :—

(क) चिकित्सा व्यय :—

01-01-1990 को और उसके बाद एक अधिकारी को स्वयं व अपने परिवार हेतु तीसरी सारणी के कालम 1 में उल्लिखित वेतन श्रेणी में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो कि उससे स्वयं के इस घोषणा करने पर होगी कि उसने ऐसा व्यय किया है। इसके साथ ही दावे की राशि हेतु खातों की विवरणी संलग्न की जाये बशर्ते कि कालम 2 में विनिर्दिष्ट सीमा की पूर्ति हो।

सारणी

वेतन सीमा	वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा
रु. 2100/- से रु. 3060/- प्र.म —रु. 750/-	
रु. 3061/- प्र.मा. और उससे अधिक—रु. 1,000/-	

टिप्पणी :—अनुपयुक्त चिकित्सा राशि, को अधिकारी संचित कर सकता है परन्तु संचित किसी भी समय उल्लिखित अधिकतम राशि तीन गुणा से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :—

इस विनियम के प्रयोजन के लिये अधिकारी के "परिवार" में उसका पति उसकी पत्नी, पूर्णतः आश्रित संतान तथा पूर्णतः आश्रित माता-पिता ही शामिल होंगे।

(ख) अस्पताल में भर्ती खर्च :

(1) दिनांक 1-4-1989 को तथा उससे अधिकारी के मामले में 90 प्रतिशत तक और उसके परिवार जनों के सभी मामलों, जहां अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है, में 60 प्रतिशत तक अस्पताल व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी। बिल, वाउचर आदि के आधार पर व्यय की प्रतिपूर्ति, सरकार द्वारा समय-समय पर जारीकृत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अधिकतम राशि होगी।

(2) अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों (यथा मामलानुसार) से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी या म्युनिसिपल अस्पताल या किसी प्राइवेट अस्पताल यानी किसी ट्रस्ट के प्रबंधनाधीन अस्पताल धर्मार्थ संस्था अथवा धार्मिक संस्था में भर्ती हों। किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारी या उनके परिवार के सदस्य या दोनों किसी अनुमोदित नर्सिंग होम या बैंक द्वारा अनुमोदित प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो सकते है। फिर भी ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति ऐसी राशि तक सीमित होनी चाहिये जो उपरिलिखित किसी एक अस्पताल में रोगी के भर्ती होने के मामले में प्रतिपूर्ति योग्य होती।

(3) 01-04-1989 को तथा उससे निम्नलिखित रोगों के संबंध में, जिन्हें बैंक के चिकित्सा अधिकारी तथा मान्यता प्राप्त प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित आवासीय इलाज की आवश्यकता है, उन्हें अस्पताल व्यय माना जायेगा तथा अधिकारी के मामले में 90 प्रतिशत तक तथा उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 60 प्रतिशत तक उसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी।

कैंसर, टी बी, पैरालिसिस, कार्डियाक एलमेंट, ट्यूमर, चेचक, ल्यूरीसी, डिप्थीरिया, लेपरसी, किडनी एलमेंट।

(विनियम 25 निम्न प्रकार पढ़ा जाये :—

"1-11-1987 को तथा उससे कोई भी अधिकारी बैंक द्वारा आवास स्थान की व्यवस्था हेतु हकदार होगा। फिर भी, बैंक चाहे तो अधिकारी के वेतनमान, जिसमें उसे नियुक्त किया गया है, के प्रथम चरण के 6 प्रतिशत या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, लेकर उसके लिये आवास की व्यवस्था कर सकता है। ऐसे आवास में यदि फर्नीचर प्रदान किया गया तो बैंक अधिकारी से वेतनमान के प्रथम चरण में 1 1/2 प्रतिशत के सम-राशि वसूल करेगा। जहां बैंक द्वारा ऐसा आवास स्थान की व्यवस्था की जाती है, वहां पर, बिजली, पानी, गैस तथा सफाई व्यवस्था का खर्च अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(विनियम 33(4) निम्न प्रकार पढ़ा जाये :—

"01-01-1990 को तथा उससे जहां साधिकार छुट्टी के लिये आवेदन दिया गया तथा उसे रद्द किया गया इसे छोड़कर साधिकार छुट्टी 240 दिनों तक जमा की जा सकती है।"

(विनियम 34(1) निम्न प्रकार पढ़ा जाये :—

01-01-1989 को तथा उससे, एक अधिकारी अपनी सेवा के पूरे हुए प्रत्येक वर्ष में 30 दिनों, बशर्तेकि पूरी सेवा के दौरान 18 महीने की अधिकतम अवधि हो की बीमारी छुट्टी लेने का पात्र होगा। पूरी सेवा के दौरान 540 दिनों तक ऐसी छुट्टी जमा की

जा सकती है तथा बैंक द्वारा मान्य अथवा बैंक द्वारा अपनी लागत पर उसके विवेकाधिकार के अनुसार नामांकित चिकित्सक द्वारा जारी किए चिकित्सा प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर ही यह छुट्टी प्रयुक्त की जा सकती है।

(विनियम 35 निम्न प्रकार पढ़ा जाये —

01-01-1989 को तथा उससे जहां अधिकारी ने 25 वर्षों की सेवा पूरी की है, वह 24 वर्षों से अधिक से सेवा काल के प्रत्येक वर्ष हेतु एक महीने के हिसाब से, अतिरिक्त बीमारी छुट्टी, बशर्ते कि तीन महीनों की अधिकतम अवधि की अतिरिक्त बीमारी छुट्टी का लेने हेतु योग्य होगा।

(विनियम 41 निम्न प्रकार पढ़ा जाए —

01-07-1989 तथा उससे जब कभी किसी अधिकारी से अपेक्षित है कि वह ड्यूटी पर यात्रा करे निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे।

(1) (i) कनिष्ठ प्रबन्धन का कोई अधिकारी रेलगाड़ी की पहली श्रेणी या वातानुकूल शयनयान द्वारा यात्रा कर सकता है। फिर भी व्यापार की अनिवार्यता या जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दिए जाने पर वह हवाई जहाज (एकानमी श्रेणी) में यात्रा कर सकता है।

(ii) मध्यम प्रबंधन श्रेणी का कोई अधिकारी रेलगाड़ी की पहली श्रेणी या वातानुकूल शयनयान द्वारा यात्रा कर सकता है। फिर भी, व्यापार की यात्रा की दूरी 500 कि मी से अधिक हो तो वह हवाई जहाज (एकानमी श्रेणी) से यात्रा कर सकता है। फिर भी, व्यापार की अनिवार्यता या जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दिये जाने पर वह कम दूरी के लिए भी हवाई जहाज से यात्रा कर सकता है।

(iii) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक श्रेणी का कोई अधिकारी रेलगाड़ी की वातानुकूल प्रथम श्रेणी या हवाई जहाज (एकानमी श्रेणी) से यात्रा कर सकता है।

(iv) कनिष्ठ प्रबंधन अथवा उच्च पालक श्रेणी का कोई अधिकारी कार द्वारा यात्रा कार्य कर सकता है यदि वह स्थान रेल या हवाई मार्ग से न जुड़ा हुआ हो। बशर्ते कि इसकी दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो। फिर भी, जहां दो स्थानों के बीच यात्रा की अधिकतम दूरी वायुयान या रेल द्वारा तय किए जाने पर शेष दूरी को सामान्यतया कार द्वारा तय किया जाना चाहिए।

(v) व्यापार की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी किसी भी अधिकारी को स्वयं के वाहन द्वारा या बैंक के वाहन द्वारा यात्रा करने का प्राधिकार दे सकता है।

(2) (i) हवाई या रेल द्वारा यात्रा करने पर अधिकारी को एक ओर के भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ii) सड़क मार्ग से निजी वाहन द्वारा यात्रा करने पर, समय समय पर वाहन के प्रकार की उपयोग किया जाना किए गए व्यय तथा तय की गई दूरी पर निर्भर होगा, किलोमीटर आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगा, जो बैंक द्वारा तय की जाएगी।

(iii) जहां टैक्सी किराए पर लेने की अनुमति दी गई है वहां वास्तविक टैक्सी प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(iv) सार्वजनिक मोटर या अन्य परिवहन द्वारा यात्रा किए जाने पर वास्तविक भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(3) परिवहन एवं भारिक को दी गई मजदूरी के वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(4) 1-1-1987 को तथा से निम्न प्रस्तुत सारणी के कॉलम 1 में बताई गई श्रेणी वेतनमान के अधिकारी कालम 2 में बताए गए पढ़ण दरों पर विराम भत्ते के पात्र होंगे।

सारणी

श्रेणी/वेतनमान के अधिकारी	क श्रेणी के बड़े शहर	क्षेत्र 1	अन्य स्थान
वेतनमान VI एवं VII	100 00	80 00	60 00
वेतनमान IV एवं V	100 00	80 00	60 00
वेतनमान II एवं III	70 00	60 00	50 00
वेतनमान I	70 00	60 00	50 00

बशर्ते कि

(क) जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम है परन्तु 4 घंटे से अधिक है उपयुक्त के आधे दर पर विराम भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

(ख) विभिन्न श्रेणियों/वेतनमान के अधिकारियों को निम्नलिखित दर्शाई गई सीमा तक आईटीडीसी होटल के एकल कमरे के आवासीय प्रभार तक की वास्तविक होटल खर्च की प्रतिपूर्ति की जाए।

श्रेणी/अधिकारी के वेतनमान	ठहरने की पात्रता	बोर्डिंग भार "क" श्रेणी के बड़े शहर	क्षेत्र 1	अन्य स्थान
वेतनमान VII एवं VI	4+ होटल	100 00	80 00	60 00
वेतनमान IV एवं F	3+ होटल	100 00	80 00	60 00
वेतनमान II एवं III	2 + होटल (गैर वातानुकूलित)	70 00	60 00	50 00
वेतनमान I	1+ होटल (गैर वातानुकूलित)	70 00	60 00	50 00

(ग) विराम स्थान पर जहां निःशुल्क लॉजिंग की व्यवस्था की गई है, विराम भत्ते का तीन चौथाई स्वीकार्य होगा।

(घ) विराम स्थान पर जहां निःशुल्क बोर्डिंग की व्यवस्था की गई है, विराम भत्ते का आधा स्वीकार्य होगा।

(ङ) जहां निःशुल्क बोर्डिंग एवं लॉजिंग की गई हो, विराम भत्ते का एक चौथाई स्वीकार्य होगा।

(च) सभी निरीक्षण अधिकारियों को हैडक्वार्टर से बाहर निरीक्षण ड्यूटी पर प्रति दिन रु 10 का अनुपूरक विराम भत्ता भुगतान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण

"प्रति दिवस" विराम भत्ता परिकलन हेतु, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसका कोई भाग, हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान हेतु रिपोर्टिंग समय से एवं अन्य मामलों के प्रस्थान के निर्धारित समय से आगमन के वास्तविक समय तक गणना की जाएगी। जहां कुल अनुपस्थिति की अवधि 24 घंटे से अधिक है प्रति दिवस मानने 8 घंटे से कम अवधि नहीं होनी चाहिए।

विनियम 12(2)(1) को निम्नरूप में पढ़ा जाए --

"1-11-1987 को तथा से स्थानान्तरणाधीन अधिकारी अपने सामान को माल गाड़ी द्वारा भेजने पर, निम्नलिखित सीमा तक उनके खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

वेतन सीमा	जहां उनका परिवार है	जहां उनका कोई परिवार नहीं है
रु 2100/- प्रति माह से रु. 3060/- प्रति माह तक	3000 कि ग्रा	1000 कि ग्रा
रु 3061/- प्रतिमाह एवं उससे अधिक	सम्पूर्ण वैगन	2000 कि ग्रा

(ज) विनियम 12(4) को निम्न रूप में पढ़ा जाए --

"किसी स्थान को अधिकारी के स्थानान्तरण होने पर, यात्रा पर हुई अवधि हेतु दौरा के समान दरों पर विराम भत्ता दावा करने का पात्र होगा।

बशर्ते कि 30-10-1987 से जहां बैंक द्वारा अधिकारी का नियुक्ति के नए स्थान पर किसी भी आवासीय सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है और जहां ऐसे अधिकारी कार्यग्रहण की प्रक्रिया में, अपने नियंत्रण से बाहर कारणों से अतिरिक्त खर्च कर सकता है, सक्षम प्राधिकारी, योग्यतानुसार 15 दिनों की अवधि तक, या उन्हें आवास उपलब्ध करने के समय तक, जो भी शीघ्र हो, विराम भत्ता मंजूर कर सकता है।"

(झ) विनियमन 45(2) निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए --

बैंक समय-समय पर भविष्य निधि के नियमों के अनुसार भविष्य निधि को अंशदान देगा बशर्ते कि अंशदान की गई राशि, 1-11-1987 से 31-12-1988 तक अधिकारी के 80 प्रतिशत वेतन का 10 प्रतिशत, 1-1-1989 से 31-12-1979 तक 90 प्रतिशत वेतन का 10 प्रतिशत एवं 1-1-1990 को तथा से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

विनियम 46(2) निम्नरूप में पढ़ा जाए --

अधिकारी को प्रत्येक समाप्त वर्ष की सेवा के एक महीना का वेतन, अधिकतम 15 महीने के वेतन तक उपदान की राशि का भुगतान किया जाएगा।

बशर्ते कि जहां अधिकारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा समाप्त कर ली है उसे तीस सम्पूर्ण वर्षों की सेवा समाप्त करने पर प्रत्येक महीने के वेतन का अतिरिक्त डेढ़ गुना अतिरिक्त राशि का पात्र होगा।

टिप्पणी : यदि सेवाकाल का अंश सम्पूर्ण वर्ष की सेवा से 6 महीने या उससे अधिक है उपदान उस अवधि हेतु समानुपातिक दर पर भुगतान किया जाएगा।

एम गोपालकृष्णय्य, महा प्रबन्धक (का)

ANDHRA BANK

(Staff Department)

NOTIFICATION

Hyderabad, the 29th July, 1991

No. 666/3/A-1/292.—In exercise of powers conferred by Section 19 read with Sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Andhra Bank in consultaton with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Andhra Bank (Officers') Service Regulations, 1982.

(2) Short title and commencement.—(1) These regulations may be called Andhra Bank (Officers') Service Amendment Regulations, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) In the Andhra Bank (Officers') Service Regulations, 1982,—

(a) Regulation 2 shall read as under :

(1) These regulations shall apply to all Officers of the Bank and such other employees of the Bank to whom they may be made applicable by the Competent Authority to the extent and subject to such conditions as such authority may decide.

(2) They shall also apply to officers transferred/posted/deputed outside India except to such extent as may be specifically or generally prescribed by the Competent Authority.

(3) They shall, however, not apply to employees appointed|engaged in any country outside India and permanently serving there.

(b) Regulation 3(1) and (m) shall read as under :

3(1) "pay means basic pay including stagnation increment.

3(m) "salary" means the aggregate of the pay and dearness allowance

(c) Regulation 4(1) shall read as under :

"On and from 01-02-1984, there shall be the following four grades for officers with the scale of pay specified against each of the grades :—

(a) Top Executive Grade :
Scale VII Rs. 4100-125-4600
Scale VI Rs. 3850-125-4350

(b) Senior Management Grade :
Scale V Rs. 3575-110-3685-115-3800
Scale IV Rs. 2925-105-3450

(c) Middle Management Grade :
Scale III Rs. 2650-100-3250
Scale II Rs. 1825-100-2925

(d) Junior Management Grade :
Scale I Rs. 1175-60-1475-70-1895-EB-95-2275-100-2675

On and from 01-11-1987, the scales of pay specified against each grade shall be as under :—

(a) Top Executive Grade :
Scale VII Rs. 6400-150-7000
Scale VI Rs. 5850-150-6550

(b) Senior Management Grade :
Scale V Rs. 5350-150-5950
Scale IV Rs. 4520-130-4910-140-5050-150-5350

(c) Middle Management Grade :
Scale III Rs. 4020-120-4260-130-4910
Scale II Rs. 3060-120-4260-130-4390

(d) Junior Management Grade :
Scale I Rs. 2100-120-4020

Provided that every officer who is governed by the scale of pay as in force on the appointed date having been fitted into the said scale of pay in accordance with the guidelines of the Government issued under Regulation 8, shall be fitted in the scale of pay set out above in accordance with the guidelines of the Government.

(d) Regulation 5(1) shall read as under :

"On and from 01-11-1987 the increments shall be granted subject to the following sub-clauses :—

(a) The increments specified in the scales of pay set out in Regulation 4(1) shall, subject to the

sanction of the Competent Authority, accrue on the annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.

(b) Officers in Scale I and Scale II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar.

(c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III as the case may be subject to a maximum of two such increments of Rs. 130 each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs. 140 for officers in the last stage of Scale III.

Note.—Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

(e) Regulation 5(2) shall read as under :

"An additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of Certificated Associate of Indian Institute of Bankers Examination on or after the appointed date.

On and from 01-11-1987 officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move furtner except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under :—

Those who have passed only Part I of CAIIB	Rs. 100/- p.m. after one year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed both parts of CAIIB	: (i) Rs. 100/- p.m. after 1 year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits (ii) Rs. 250 -p.m. after 2 years, of which Rs. 200/- shall rank for superannuation benefits.

Note.—If an officer who is in receipt of Professional Qualification Allowance is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment into such higher scale, additional increment(s) for passing CAIIB to be extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale or only one increment is available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment(s).

(f) Regulation 21 shall read as under :

"On and from 01-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—

(i) 0.67% of 'pay' upto Rs. 2500 plus,

(ii) 0.55% of 'pay' above Rs. 2500 to Rs. 4000 plus,

(iii) 0.33% of 'pay' above Rs. 4000 to Rs. 4260 plus,

(iv) 0.17% of 'pay' above Rs. 4260.

(g) Regulation 22(1) shall read as under :

"On and from 01-11-1987, where an officer is provided with residential accommodation by the rank, 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(h) Regulation 22(2) shall read as under :

"On and from 01-01-1990, where an officer is not provided any residential accommodation by the bank he shall be eligible for House Rent Allowance at the following rates :—

Column I Where the place of work is in	Column II HRA payable shall be
(i) Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & Project Area Centres in Group 'A'.	14% of the pay subject to a maximum of Rs. 450/- p.m.
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	12% of the pay subject to a maximum of Rs. 375/- p.m.
(iii) Area II and state capitals and capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above	10% of the pay subject to a maximum of Rs. 325/- p.m.
(iv) Area III	8% of the pay subject to a maximum of Rs. 300/- p.m.

provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 6% of the pay in the first stage of the sacel of pay in which he is placed or at the rates indicated in Column II with a maximum of 175% of the maximum House Rent Allowance payable otherwise whichever is lower.

(i) Regulation 22(3) shall read as under :

"Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to sub-regulation (2) as if he were paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of A or B below :

A

The aggregate of :—

(i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation ; and

(ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners or

B

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation

Explanation :—

(1) For the purpose of this Regulation "standard rent"

means :—

(a) In the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government ;

(b) With effect from 01-04-1990 where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure in (a) above, whichever is lower.

(2) In this Regulation and in Regulation 23 Area I, Area II and Area III shall mean as under :—

Area I—Places with a population of more than 22 lakhs

Area II—All cities other than those included in Area I which have a population of 1 lakh and more

Area III—All places not included in Area I and Area II".

(j) Regulation 23(i) shall read as under :—

On and from 01-11-1987, if he is serving in a place mentioned in Column I of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in Column 2 thereof against that place, provided that the city compensatory allowance at places in the State of Goa other than urban agglomeration of Panaji and Marmugao, where it was not payable on 01-11-1987 shall be payable with effect from 20-08-1988.

Places	Rates
1	2
(a) Places in Area I and in the State of Goa	6 1-4/% of basic pay subject to a maximum of Rs. 220/- per month
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 135/- per month.

(k) Regulation 23(v) shall read as under :

"On and from 01-11-1987, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed. Alternatively, he may in addition to his pay, draw a deputation allowance of 12% of pay, maximum Rs. 700 and such other allowances as he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place :

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation he shall receive a deputation allowance equal to 6% of his pay, maximum Rs. 350 :

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member or to Banking Service Recruitment Board shall be eligible for deputation allowance at 6% of his pay maximum Rs 350."

(l) Regulation 23(vi) shall read as under :

"On and from 01-11-1987, if he is required to officiate in a post in a higher scale for continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, subject to a maximum of Rs. 250 p.m. for the period for which he officiates. Officiating Allowance will rank as pay for purposes of Provident fund and not for other purposes.

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect."

(m) Regulation 23(vii) shall read as under :

"On and from financial year 1989/90 if he is posted at a branch where books are closed on 31st March and 30th September a closing allowance of Rs. 150 for each of the two closings "

(n) Regulation 23(x) shall read as under :

"On and from 01-11-1987, if he is serving in a place mentioned in column 1 of table below, a hill and fuel allowance at the rate mentioned in column 2 thereof :—

Place	Rate
1	2
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Nercara Town	5% of pay subject to a maximum of Rs. 130/-
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	6-1/2% of pay subject to a maximum of Rs. 160/-
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	15% of pay subject to a maximum of Rs. 600/-

Note.—(a) Officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, will be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centres with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn. The allowance already paid between 01-11-1987 and 30-04-1989 shall not be recovered. From 1st May, 1989 onwards the quantum of allowance paid as on 30th April under the old provisions alone shall be protected in the case of officers posted at that centre on or before that date till the time they remain posted at that cenre in the same scale of pay."

(o) Regulation 24(1) shall read as under :

"An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely :—

(a) Medical Expenses.—On and from 01-01-1990 reimbursement of medical expenses of an officer in the pay range specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof :

TABLE

Pay Range	Reimbursement limit p.a.
1	2
Rs. 2100/- to Rs. 3060/-p.m.	Rs. 750/-
Rs. 3061/-p.m. and above	Rs. 1000/-

NOTE.—An office may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Explanation :

"FAMILY" of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) Hospitalisation Expenses.—(i) On and from 01.04.1989, hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 90 per cent in the case of an officer and 60 per cent in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation. Reimbursement on the basis of bills, vouchers, etc., of expenses incurred shall be subject to ceilings determined from time to time in accordance with the guidelines of the Government.

(ii) The officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal Hospital or any private hospital i.e. hospitals under the management of a Trust, Charitable institution or a religious mission. But in unavoidanble circumstances the officers or their family members or both may avail themselves of the services of one of the approved private nursing homes or private hospitals approved by the Bank. Reimbursement in such cases should, however, be restricted to the amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.

(iii) On and from 01.04.1989, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and Bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 90 per cent in case of an officer and 60 per cent in the case of his family members :—

Cancer, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Tumor, Small Pox, Pleurosy, Diptheria, Leprosy, Kidney Ailment."

(p) Regulation 25 shall read as under :—

"On and from 01-11-1987, no officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank. It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation on payment by the officer of 6 per cent of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less. Provided that a further sum equal to 1-1|2 per cent of pay in the first stage of the scale of pay will be recovered by the Bank from an officer if furniture is provided at such residence. Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer."

(q) Regulation 33(4) shall read as under :—

"On and from 01-01-1990, Privilege Leave may be accumulated upto not more than 240 days except where leave has been applied for and it has been refused."

(r) Regulation 34(1) shall read as under :—

"On and from 0-1-01-1989, an officer shall be eligible for 30 days of sick leave for each completed year of service subject to a maximum of 18 months during the entire service. Such leave can be accumulated upto 540 days during the entire service. and may be availed of only on production of medical certificate by a medical practitioner acceptable to the bank or at the bank's discretion nominated by it at its cost."

(s) Regulation 35 shall read as under :—

"On and from 0-1-01-1989, where an officer has put in a service or 24 years, he shall be engible to additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of 24 years subject to a maximum of three months of additional sick leave."

(t) Regulation 41 shall read as under :—

"On and from 01-07-1989, the following provisions shall apply whenever an officer is required to travel on duty :—

(1) (i) An officer in Junior Management Grade may travel by 1st Class or AC Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(ii) An officer in Middle Management Grade may travel by 1st Class or AC Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 500 kms. He may, however, travel by air (economy class) even for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(iii) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by train AC 1st Class or by air (economy class).

(iv) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 kms. However when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.

(v) Any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by the Bank's vehicle.

(2) (i) For air or rail travel, a single fare for the officer will be reimbursed.

(ii) For travel by road by his own vehicle, such rate on a kilometre basis as may be decided by the Bank, from time to time, having regard to the type of vehicle used, the cost to be incurred and the terrain covered, will be reimbursed.

(iii) Where hiring of a taxi is permitted, the actual taxi charges will be reimbursed.

(iv) For travel by public motor or water transport, the actual fare will be reimbursed.

(3) Actual expenses incurred for transport and porterage will be reimbursed.

(4) On and from 01-01-1987, an officer in the Grades/Scales set out in Column 1 of the Table below shall be entitled to Halting Allowance at the corresponding rates set out in Column 2 thereof.

TABLE

Grades/Scales of Officers	Daily Allowance (Rs.)		
	Major 'A' Class Cities	Area-I	Other places
Scale VI & VII	100 00	80.00	60.00
Scale IV & V	100.00	80 00	60 00
Scale II & III	70.00	60.00	50.00
Scale I	70 00	60.00	50.00

Provided that :—

(a) Where the total period of absence is less than 8 hours, but more than 4 hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

(b) Officers in various Grades|Scales may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charges in ITDC Hotels, subject to the limits as given below :—

Grades/Scale of Officers	Eligibility to stay	Boarding charges (Rs.) Major-A Class Cities	Area-I	Other Places
Scale VI & VII	4* Hotel	100.00	80.00	60.00
Scale IV & V	3* Hotel	100.00	80.00	60.00
Scale II & III	2* Hotel (Non-AC)	70.00	60.00	50.00
Scale I	1* Hotel (Non-AC)	70.00	60.00	50.00

(c) Where free lodging is provided at the place of halt 3|4th of the halting allowance will be admissible.

(d) Where free boarding is provided at the place of halt 1|2 of the Halting Allowance will be admissible.

(e) Where free lodging and free boarding are provided at the place of halt, 1|4th of the Halting Allowance will be admissible.

(f) A supplementary Diem Allowance of Rs. 10 per day of halt outside headquarters on inspection duty may be paid to all inspecting officers.

Explanation :

For the purpose of computing Halting Allowance 'per diem' shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours, "per diem" shall mean a period of not less than 8 hours."

(u) Regulation 42(2)(i) shall read as under :—

"On and from 01-11-1987 an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :—

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
Rs. 2100/- p.m. to Rs. 3060/- p.m.	3000 kgs.	1000 kgs.
Rs. 3061/- p.m. and above	Full Wagon	2000 kgs.

(v) Regulation 42(4) shall read as under :—

"An Officer transferred to any station shall be eligible to claim Halting Allowance for the period spent on journey at the same rates in the case of travel on tour :

Provided that on and from 30-10-1987 where no residential accommodation is made available by the Bank to an officer at the new place of posting and where such an officer may incur additional expenses in the process of taking over charge, for reasons, beyond his control, the Competent Authority may consider, on merit, grant of halting allowance to him upto a maximum period of 15 days or till the time the quarters are made available to him, whichever is earlier."

(w) Regulation 45(2) shall read as under :—

"The Bank shall contribute to the Provident Fund in accordance with the rules governing the Provident Fund, from time to time, provided that the amount contributed by it shall not be more than 10 per cent of 80 per cent of pay on and from 01-11-1987 to 31-12-1988, 10 per cent of 90 per cent of pay on and from 01-01-1989 to 31-12-1989 and 10 per cent of pay on and from 01-01-1990 of the officer."

(x) Regulation 46(2) shall read as under :—

"The amount of Gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to a maximum of 15 month's pay.

Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of Gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond thirty years.

NOTE.—If the fraction of service beyond completed years of service is six months or more, gratuity will be paid pro-rata for the period.

M. GOPALAKRISHNAIAH, General Manager (P).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991